प्रेस नोट
दिनांक 06.10.2026
जनपद - मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा शुक्रवार की परेड में प्रतिभाग कर ली गयी सलामी तथा दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 16.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस लाइन मऊ में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड के अवसर पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान महोदय द्वारा उच्च कोटि का अनुशासन, वर्दी का टर्नआउट, शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाए रखने के दृष्टिगत फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें। दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे। जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके।

इस दौरान ड्रोन कैमरा, फॉरेन्सिक वैन, चारपहिया/दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं परिसर की साफ सफाई इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया। महोदय ने परिसर की समग्र व्यवस्था, बैरक और मेस में भोजन व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण का जायजा लिया। साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

01 अन्तराज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार कब्जे अवैध अंग्रेजी शराब (45 पेटी में कुल 540 बोतल) शराब कीमत लगभग (1500000/- पन्द्रह लाख रुपये) तथा घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्र जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में स्वाट/एसओजी, सर्विलांश व थाना सरायलखन्सी पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक आज 06.11.2026 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बढुआ गोदाम- मतलूपुर हाइवे पर ताजोपुर के पास संदिग्ध अवस्था में सुनसान जगह पर एक अदद चार पहिया एम्बुलेन्स आर्टिगा कार वाहन खड़ा दिखायी दिया। जिसके पास पहुंचकर जांच किया गया तो वाहन में कुल 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जिसमें दो पेटी ब्लन्डर प्राइड कुल 24 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML, सोलह पेटी रायल स्टैग कुल 192 बोतल प्रत्येक बोतल 750ML, सत्ताईश पेटी मैजिक मोमेन्ट कुल 324 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML सभी पर FOR SALE IN HARYANA ONLY अंकित

बरामद हुआ जिसे चालक नीरज पुत्र विरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा निवासी वृतिया थाना गोपालगंज जिला गोपालगंज बिहार हाल पता 25 फुटा रोड बौद्ध विहार थाना बेवसिटी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 द्वारा अपने साथी आदेश कुमार कुशवाहा पुत्र फूल सिंह नि0 सेक्टर 11 काशीराम आवास प्रताप बिहार थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद द्वारा फरीदाबाद से लादकर बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा था बरामद हुआ।

बरामद चार पहिया वाहन के वास्तविक चेचिस नम्बर MA3BNC62SPE619324 तथा वाहन संख्या HR55AQ1089 में पुलिस से बचने के लिये फर्जी व कूटरचित नम्बर प्लेट PB13BP5241 तथा उ0प्र0 की सीमा में आने पर BR01PS4045 नम्बर प्लेट लगाकर एम्बुलेन्स का स्टीकर लगाया गया था। शराब के परिवहन हेतु अधिकार पत्र न होने के कारण अभियुक्त नीरज उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अवैध शराब को जब्त किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 384/2026 धारा 60/63 उ0प्र0 आबकारी अधि0 व 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस बनाम 1. नीरज पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा निवासी वृतिया थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार हाल पता 25 फुटा रोड बौद्ध बिहार थाना बेवसिटी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 उम्र 23 वर्ष 2. आदेश कुमार कुशवाहा पुत्र फूल सिंह नि0 सेक्टर 11 काशीराम आवास प्रताप बिहार थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, तथा अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ विवरण-

पकड़े गये अभियुक्त नीरज पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा निवासी वृतिया थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार हाल पता 25 फुटा रोड बौद्ध बिहार थाना बेवसिटी जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 उम्र 23 वर्ष द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि यह शराब मुझे मेरे साथी आदेश कुमार कुशवाहा पुत्र फूल सिंह नि0 सेक्टर 11 काशीराम आवास प्रताप बिहार थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद द्वारा फरीदाबाद में इसी गाड़ी में भरवाकर दिया गया तथा रास्ते में खर्च के लिये आनलाईन ग्यारह हजार रुपये दिये तथा कहे थे कि इस माल को बेगूसराय बिहार रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा देना जहां उसे लेने मेरे आदमी आ जाएंगे वापस आने पर मुझे 20000/ बीस हजार रुपये देने की बात कहे थे। गाड़ी पर कोई सन्देह न करे इसलिये इस पर एम्बुलेन्स लिखाया गया है तथा शीशों पर स्टीकर लगवाया गया है। पुलिस से बचने के लिये हरियाणा से चला था तो Pb13BP5241 लगाया था तथा उत्तर प्रदेश की सीमा में आने पर BR01PS4045 नम्बर प्लेट लगा लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. नीरज पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा निवासी वृतिया थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार हाल पता 25 उम् 0प्र0फुटा रोड बौद्ध बिहार थाना बेवसिटी जनपद गाजियाबाद उर वर्ष 23

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु384 0सं0अ0/60 धारा 2026/318 व 0आबकारी अधि 0प्र0उ 63(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 147/2025 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना वेवसिटी नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.मु0अ0सं0 384/2026 धारा 60/63 उ0प्र0 आबकारी अधि0 व 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

वाछिंत अभियुक्त-

1.आदेश कुमार कुशवाहा पुत्र फूल सिंह नि0 सेक्टर 11 काशीराम आवास प्रताप बिहार थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1. दो पेटी ब्लन्डर प्राइड कुल 750 बोतल प्रत्येक बोतल 24ML,
2. सोलह पेटी रायल स्टैग कुल 750 बोतल प्रत्येक बोतल 192ML,
3. सत्ताईश पेटी मैजिक मोमेन्ट कुल 750 बोतल प्रत्येक बोतल 324ML
 (कुल 45 पेटी में 540 बोतल)
4. घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन (अर्टिगा कार)।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय-

दिनांक 06.11.2026, **स्थान**,- बढुआ गोदाम- मतलूपुर हाइवे पर ताजोपुर के पास, **समय**- 05:40

तीन शातिर अन्तर्राज्यीय महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार, अभियक्तागण के कब्जे से- 78.00 किग्रा नाजायज गांजा बरामद, जिसकी अनुमानित कीमत -1500000/- (पन्द्रह लाख रूपया) -

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन महोदय के द्वारा चलाये गये विशेष चेकिंग अभियान आदेश के क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के सघन पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना सूचना मिली की तीन महिलाओ को रेलवे ओवर ब्रिज सेल्फी प्वाइंट के पास रोड के किनारे से चार ट्राली बैग जिसमें प्रत्येक ट्राली बैंग में सात सात बंडल अवैध गांजा भरा था को समय करीब 10.30 बजे दिन में गिरफ्तार कर अवैध गांजा बरामद किया गया। गांजे के सम्बन्ध में सूचना पर नियमानुसार क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को मौके पर ही बुलाकर उनके समक्ष गांजा की तस्दीक की गयी। मौके पर ही तौल कराने पर बरामद गांजा का कुल वजन करीब- 78.00 किग्रा है।

पूछताछ में गिरफ्तार शुदा महिलाओ नें अपना नाम क्रमशः 1. सुमन पत्नी शैलेन्द्र निवासी कूड़ाघाट थाना एम्स गोरखपुर जनपद गोरखपुर 2. कुसुम पुत्री आनन्द निवासी गायत्री नगर थाना एम्स गोरखपुर जनपद गोरखपुर 3. रीना पत्नी कन्हैया पुत्री अवधेश निवासी कूड़ाघाट थाना एम्स गोरखपुर जनपद गोरखपुर बताया। उपरोक्त गिरफ्तारी व

बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 306/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तागण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी विवरण -

आज दिनांक 06.11.2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मय हमराहीगण के धनतेरस त्यौहार के सम्बन्ध में शांति ब्यवस्था हेतू भीटी चौराहा पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दिया गया कि तीन महिलाए जो रांची से करीब 80.00 किग्रां गांजा चार ट्राली बैंगो में भरकर लायी है तथा वर्तमान में तीन महिलाए उक्त बैगो के साथ सेल्फी प्वाइंट के पहले रोड के किनारे खड़ी होकर गोरखपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रही है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ी जा सकती है। इस सूचना पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास रोड के किनारे खड़ी तीन महिलाओ के पास जब पुलिस वाले पहुंचे तो सकपका कर हटने को हुई तो महिला उपनिरीक्षक व महिला आरक्षीगण के सहयोग से उन्हे वही रोक लिया गया तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को बुलाकर उनके सामने ट्राली बैंग खुलवाया गया तो प्रत्येक ट्राली में सात-सात सील शुदा पैकेट मिले जिनमें सभी में गांजा भरा था जिनका वजन मौके पर ही कराया गया तो कुल वजन करीब 78.00 किग्रा पाया गया। गांजा के सम्बन्ध में मौके पर सख्ती से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम यह गांजा रांची (झारखंड प्रदेश) से लाकर गोरखपुर लेकर वहां अच्छे दाम में बेचते है। हम यह काम काफी समय से कर रहे है पहले भी सुमन उक्त गांजा तस्करी में गोरखपुर जनपद से जेल गयी है तथा गैगेस्टर भी लगा है। अतः मौके पर ही नियमानुसार गिरफ्तारी व बरामदगी कर सभी माल को अलग अलग बोरे में सील कर सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। अभियुक्तो को मय माल के नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0स0- 306/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार शुदा महिला अभियुक्तागणो का विवरण -

1. सुमन पत्नी शैलेन्द्र उम्र करीब 45 वर्ष निवासी कूड़ाघाट थाना एम्स गोरखपुर जनपद. गोरखपुर।
2. कुसुम पुत्री आनन्द उम्र करीब 25 वर्ष निवासी गायत्री नगर थाना एम्स गोरखपुर जनपद गोरखपुर।
3. रीना पत्नी कन्हैया पुत्री अवधेश उम्र करीब 28 वर्ष निवासी कूड़ाघाट थाना एम्स गोरखपुर जनपद गोरखपुर।

अभियुक्तगणो से बरामदगी का विवरण

1.अभियुक्ता सुमन उपरोक्त से बरामद गांजा वजनी करीब- 39 किग्रा।
2.अभियुक्ता कुसुम उपरोक्त से बरामद गांजा वजनी करीब- 20 किग्रा।
3.अभियुक्ता रीना उपरोक्त से से बरामद गांजा वजनी करीब- 19 किग्रा।

अपराधिक इतिहास-अभि0 सुमन -

1.मु0अ0स0- 310/2023 धारा 406/420/506/504 भादवि. थाना एम्स गोरखपुर।
2.मु0अ0स0- 12/24 धारा 406/420/506 भादवि. थाना एम्स गोरखपुर।
3 मु0अ0स0- 292/25 धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना एम्स गोरखपुर।
4.मु0अ0स0- 88/23 धारा 406/420/504/506 भादवि. थाना एम्स गोरखपुर।
5.मु0अ0स0- 352/2023 धारा 406/419/420/467/468/471/506/504 भादवि. शाहपुर गोरखपुर।

धोखाधड़ी, कूटरचना (फर्जी दस्तावेज) एवं पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 257/2026 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 12(1)(b) पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र मुसई प्रसाद निवासी- गौरीडीह, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ, उम्र करीब 32 वर्ष को आज पुलिस टीम द्वारा उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। तथा चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- अखिलेश कुमार पुत्र मुसई प्रसाद, निवासी- गौरीडीह, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ (उम्र करीब 32 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 257/2026 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 12(1)(b) पासपोर्ट अधिनियम

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 06.11.2026 स्थान- गौरीडीह

सेंधमारी के मामले में वांछित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व नगद 1820 रूपया व एक अदद पानी का मोटर बरामद।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.11.2026 को विद्युत उपकेन्द्र बेलौली के पास मु0अ0स0-94/2026 धारा- 305/331(4) बीएनएस थाना रामपुर जनपद मऊ से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1.साहिल राजभर पुत्र सुनील राजभर निवासी बेलौली भोजीपुर थाना रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष, 2. मोहिब्बुल इस्लाम पुत्र इरफान निवासी ग्राम रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व नगद 1820/- रूपया व एक अदद पानी का मोटर बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1.साहिल राजभर पुत्र सुनील राजभर निवासी बेलौली भोजीपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।

2. मोहिब्बुल इस्लाम पुत्र इरफान निवासी ग्राम रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0स0- 94/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना रामपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक- 06.11.2026

स्थान- विद्युत उपकेन्द्र बेलौली के पास।

बरामदगी का विवरण

01 जोड़ी पायल सफेद धातु व नगद 1820 रूपया व एक अदद पानी का मोटर।

ई-रिक्सा में यात्रियो से चोरी करने वाली चार महिलाओ को पुलिस नें किया गिरफ्तार, अभियक्तागण के कब्जे से चोरी का- 20,000/- (बीस हजार रूपया) बरामद।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.11.2026 को सूचना मिली की श्रीमती सीमा देवी पत्नी विधान निवासी बिजहरी पोस्ट ओडासन थाना भुड़कुवा जिला गाजीपुर से मऊ अपने मायके आ रही थी ट्रेन से उतरने के बाद आजमगढ मोड़ से आटो रिक्सा लेकर जा रहा थी कि रास्ते में सदर अस्पताल के पास अज्ञात महिलाए रिक्सा पर बैठ गयी चारो महिलाए तहसील सदर गेट पर उतर गयी जिसके बाद मैने अपना पर्स देखा तो उसमें से मेरा 20000/ बीस हजार रूपया) व सोने की लाकेट व 05 चांदी की जूतिया गायब थी आवेदिका के द्वारा चोर चोर शोर मचाने पर आस पास के लोग व पुलिस टीम मौके पर कुछ ही देर में पहुंच गयी जिसमें आवेदिका सीमा देवी उपरोक्त से पूछताछ पर बतायी कि मेरा 20000/ (बीस हजार रूपया) व सोने की लाकेट व 05 चांदी की जूतिया इन चारो महिलाओ के द्वारा चोरी कर लिया गया है जो अपना नाम क्रमशः गुलशाना, सीमा, रीना व पिंकी बता रही थी। जिनको थाने पर लाकर महिला हेल्पडेस्क पर उ.नि. तृप्ति पाण्डेय के द्वारा तलाशी लिया गया इन चारो के पास से- 20000/ (बीस हजार रूपया) लाल पर्स सहित बरामद हुआ। आवेदिका के तहरीरी सूचना पर उपरोक्त चोरी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 305/2026 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तागण उपरोक्त को नियमानुसार चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0स0- 305/2026 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम पता

1. गुलशाना पत्नी बच्चन निवासी ग्राम अंडाखोर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुंशीपुरा कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2. सीमा पत्नी राजन निवासी ग्राम अंडाखोर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुंशीपुरा कोतवाली नगर जनपद मऊ।

3. पिंकी पत्नी विशाल निवासी ग्राम अंडाखोर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुंशीपुरा कोतवाली नगर जनपद मऊ।

4. रीना पत्नी जितेन्द्र निवासी ग्राम अंडाखोर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुंशीपुरा कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

दिनांक- 06.11.2026, स्थान - सदर अस्पताल के पास।

बरामदगी का विवरण-

चारो महिलाओं के पास से- 20,000/ (बीस हजार रूपया)।

धनतेरस व दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा मुहम्मदाबाद गोहना थाने पर शांति समिति की बैठक एवं पुलिस बल के साथ पैदल गस्त

जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से थाना मुहम्मदाबाद गोहना परिसर में आगामी त्यौहारों धनतेरस व दीपावली को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक (पीस कमेटी/शांति समिति) का आयोजन किया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना, प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद गोहना व क्षेत्र के समस्त सम्भ्रान्त नागरिक, धर्मगुरु व व्यापार मंडल के प्रतिनिधि /व्यक्ति उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, धर्मगुरुओं व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर त्यौहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की गई। बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए यातायात प्रबंधन तथा संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए। आतिशबाजी बिक्री के लिए निर्धारित स्थलों तथा सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

बैठक के उपरांत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अमले ने मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे के मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले चौराहों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गस्त (फ्लैग मार्च) किया। स्थानीय व्यापारियों व आमजन से सीधे संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का अहसास कराया। अतिक्रमण हटाने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए। असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी कि त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उप-जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना, प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद गोहना सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।

आपरेशन कान्विक्शन के तहत 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधी की कारावास की सजा व 700/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-06.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0- 75/2002 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त हरिशचन्द्र पुत्र बेदर सिंह निवासी ग्राम सरसेना थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को मा0 न्यायालय जेएम-2 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा जेल में बितायी गयी अवधी की सजा व 700/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।